पत्रांक– 3/एम0–40/2015सा0प्र0 806 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 16/01/2018

विषयः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही के पश्चात् वृहत् शास्ति एवं पेंशन कटौती संबंधी दण्ड अधिरोपित करने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार के वर्ग–2 के पदाधिकारियों के विरुद्ध सेवा बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कालमान वेतन/पद में अवनति संबंधी वृहत दंड एवं पेंशन कटौती संबंधी दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री होंगे अथवा विभागीय मंत्री द्वारा अधिरोपित वृहद दंड पर मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, के संबंध में निर्णय लिया जाना विचाराधीन था।

2. विचाराधीन मामला बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित), बिहार पेंशन नियमावली तथा बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों की विवेचना से संबंधित है। अनुशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान सेवारत सरकारी सेवकों पर प्रभावी हैं जबकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत की जाती है। बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों में विभिन्न प्राधिकारों में शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था की गयी है।

3. (i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 में लघु एवं वृहत शास्तियों का वर्गीकरण किया गया है। इस नियमावली में किसी भी सरकारी सेवक के विरुद्ध नियम–14 में वर्गीकृत किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए नियम–2(झ) में **अनुशासनिक प्राधिकार** को प्राधिकृत किया गया है।

(ii) नियमावली के नियम–2(झ), 9 एवं 15 में अनुशासनिक प्राधिकार को परिभाषित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के आलोक में वृहत दंड अधिरोपित करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है।

(iii) नियमावली की कंडिका–30 में किया गया प्रावधान भी प्रासंगिक है जो निम्नवत् है – **"30. इस नियामवली का अभिभावी प्रभाव।– किसी अन्य नियमावलियों में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।"**

(iv) उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि नियमावली के नियम–14 में प्रावधानित किसी भी दंड को अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में संबंधित सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार ही सक्षम होगा। साथ ही किसी अन्य नियमावली में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधान का अभिभावी प्रभाव होगा अर्थात इस निमयावली के प्रावधान ही लागू होंगे।

4. (i) बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम–10 के तहत नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची–3 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन मामलों में अन्तिम निर्णय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से लिया जाना है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या– 105 दिनांक– 25.01.2017 (पृष्ठ 87–86/प0) द्वारा अनुसूची–3 की कंडिका–28 के मूल प्रावधान को निम्नरूप में प्रतिस्थापित किया गया है – "**28. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रस्ताव, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो।**"

(ii) कार्यपालिका नियमावली के उक्त वर्णित संशोधन के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्यूत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने (तीनों वृहत दंड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उसपर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दंड संसूचित किया जाता है।

5. (i) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई में पेंशन से कटौती (पूर्णतः/आंशिक, किसी विशिष्ट अवधि के लिए/स्थायी रूप से) का प्रावधान बिहार पेंशन नियामवली के नियम–43 एवं 139 में किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 में पेंशन से कटौती को दंड के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए पेंशन से कटौती का निर्णय लेने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार की अवधारणा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

(ii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43बी का **प्रावधान** निम्नवत् है– "***राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए। यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले की किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा, धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानी पहुँची है, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक से पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है।***

.....

अन्तिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की जायेगी।"

यह प्रावधान सभी सरकारी सेवकों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') पर लागू है।

(iii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 35 में "राज्य सरकार" को परिभाषित किया गया है जिसमें अंकित है कि "**राज्य सरकार से तात्पर्य है बिहार राज्य की सरकार**"। राज्य सरकार की यही परिभाषा बिहार सेवा संहिता के नियम– 45 में भी दी गयी है। बिहार कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों में बिहार सरकार को परिभाषित नहीं किया गया है।

(iv) बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम– 10 के तहत तृतीय अनुसूची संलग्न की गयी है जिसमें उन विषयों का उल्लेख है जिन पर अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद के स्तर से लिया जाना है। इसी प्रकार नियम– 32क/ख में उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर अंतिम

निर्णय माननीय मुख्य मंत्री/महामहिम राज्यपाल के स्तर से लिया जाना है। किसी विभाग से संबंधित शेष मामलों पर निर्णय कार्यपालिका नियमावली के अनुसूची–4 में निर्धारित प्राधिकार अथवा नियम– 22 के तहत विभाग के प्रभारी मंत्री के स्तर से लिया जाना है । कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची – 3 अथवा नियम– 32क/ख में **पेंशन से कटौती किया जाना** सूचीबद्ध नहीं है और अनुसूची–4 में भी इसके लिए कोई प्राधिकार निर्धारित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट है कि कार्यपालिका नियमावली में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था के तहत राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती करने का निर्णय लिये जाने हेतु राज्य सरकार के रूप में विभाग के प्रभारी मंत्री हीं सक्षम प्राधिकार है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 2609 दिनांक– 13.09.2006 (कम्पेन्डियम, 2010 खण्ड–1 पृष्ठ 358) द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में **ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है, के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहत दंड अधिरोपित करने के क्रम में अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व तथा इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने तथा इसके परामर्श पर विचार करने का प्रावधान किया गया है।**

7. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत प्रस्तावित कोई दंड अथवा बिहार पेंशन नियमावली के विभिन्न नियमों के तहत पेंशन कटौती/शत–प्रतिशत पेंशन जब्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैं :–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 में प्रावधानित किसी भी दंड, अधोलिखित उप कंडिका–(ii) में वर्णित मामलों को छोड़कर, को अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में संबंधित सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार ही सक्षम होगा। किसी अन्य नियमावली में इसके प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस नियमावली के उक्त प्रावधान का अभिभावी प्रभाव होगा अर्थात इस निमयावली के प्रावधान ही लागू होंगे।

(ii) कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची–3 की कंडिका–28 में निहित प्रावधान के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो, को बर्खास्त करने, सेवाच्यूत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराये जाने (तीनों वृहत दंड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उसपर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। तत्पश्चात् अनुमोदित दंड संसूचित किया जाता है।

(iii) कार्यपालिका नियमावली में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 अथवा 139 के प्रावधानों के तहत राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती (पूर्णतः/आंशिक, किसी विशिष्ट अवधि के लिए/स्थायी रूप से) करने का निर्णय लिये जाने हेतु राज्य सरकार के रूप में विभाग के प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकार हैं।

(iv) बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के प्रावधानों के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है, के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहत दंड अधिरोपित करने के क्रम में अंतिम आदेश निर्गत

करने के पूर्व तथा इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करते हुए प्राप्त परामर्श पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

8. उपर्युक्त कंडिका–7 पर वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 16/1/2018
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–40/2015सा0प्र0 806 /पटना–15 दिनांक– 16/01/18

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद/विभागीय जाँच आयुक्त, विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय/महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 16/1/2018
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 3/एम0–40/2015सा0प्र0 806 /पटना–15 दिनांक– 16/01/18

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 6/प्रो0(विविध)–40–06/2006–800लो0से0आ0 दिनांक– 07.07.2017 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 16/1/2018
सरकार के अपर सचिव